

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 80/2019 धारा अंतर्गत 3 जी (5)रा.रा.अ.

1. फूला देवी पत्नि स्व० रामपाल मीना
2. रामफूल पुत्र स्व० रामपाल मीना
3. इन्द्रा पुत्री स्व० रामपाल मीना
4. संतोष पुत्री स्व० रामपाल मीना
5. ज्योति पुत्री स्व० रामपाल मीना
6. रजनी पुत्री स्व० रामपाल मीना
7. पूजा पुत्री स्व० रामपाल मीना
8. रीना पुत्री स्व० रामपाल मीना



समस्त जाति मीना निवासी ग्राम नयावास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, होटल रावत पैलेस के पीछे, गंगाविहार कालोनी, सोमनाथ नगर, दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट ।

उपस्थित— 1. श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री अभिवन जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2

3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक 27.02.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा दौसा-लालसोट-कौथून राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 ए एक्सटेंशन के अंतर्गत ग्राम मौलाई के संरचना सं० 40 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम मौलाई तहसील रामगढ पचवारा में स्थित भूमि खसरा नंबर 2/261 स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता रामपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। उक्त खसरा नंबर 2 में प्रार्थीगण ने अपने मकान निर्मित कर रखे है तथा निर्मित संरचना पर काबिज है। उक्त भूमि के पूर्व के खसरा नंबर 2 रहे है तथा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मृतक रामपाल पुत्र गोपाल मीना द्वारा क्रय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया था तथा विक्रय पत्र के अनुसरण में नामान्तरण दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर खातेदारी में दर्ज हो गई थी। चूंकि उक्त भूमि ग्राम मौलाई में स्थित है तथा उसके लगते हुए ग्राम चक चांदपुर भी स्थित है। उक्त खसरा नंबर 2 के खसरा नंबर 2/123 गांव मौलाई तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है। उक्त भूमि निजी भूमि है तथा उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 ए में अवाप्त हो चुकी है तथा संरचना सं० 40 है जिस पर प्रार्थीगण का मालिकाना हक चला रहा है।

जिला कलेक्टर, दौसा



उक्त संरचना के मूल्यांकन के दौरान उक्त भूमि को सरकारी भूमि में दिखा दिया जिस कारण मुआवजा राशि में तोषण राशि को नहीं जोड़ा गया है जबकि उक्त भूमि पर निर्मित संरचना को मुआवजा राशि में जोड़ा जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त भूमिक पर वर्षों से काबिज है तथा अपने मकान एवं अन्य निर्मित संरचना बनी हुई है जिस बाबत प्रार्थीगण ने मुआवजा प्राप्त हेतु पूर्व में जिला कलक्टर महोदय दौसा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तोषण राशि सहित मुआवजा बनाकर भुगतान हेतु निवेदन करने पर जिला कलक्टर महोदय दौसा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं० 1 के पास उचित कार्यवाही हेतु भिजवाया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के पश्चात् प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं० 1 से निर्धारित मुआवजा राशि में तोषण राशि जोड़ने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थी सं० 1 द्वारा अर्वाड में निर्धारित मुआवजा राशि को अण्डर प्रोटेस्ट प्राप्त कर अपील के अधिकार सुरक्षित रखे जाने हेतु कहा। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं० 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 14.2.2019 को अप्रार्थी सं० 1 द्वारा खसरा नंबर 2/261 वाके ग्राम मौलाई में स्थित संरचना संख्या आर.एच.एस.40 का भुगतान अण्डर प्रोटेस्ट प्राप्त करने बाबत अधिकार सुरक्षित करते हुए भुगतान कर दिया तथा प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय आर्बिट्रेटर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त अवाप्तशुदा भूमि में प्रार्थीगण का पुख्ता मकान व चारदीवारी आदि निर्मित है जिनका निर्माण का मुआवजा दिया जाना कानूनन आवश्यक है क्योंकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का केवल मात्र भूमि का मुआवजा ही तैयार किया गया था निर्माण का नहीं। जबकि मौके पर निर्मित संरचना का मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के मालिक है तथा उक्त अवाप्तशुदा भूमि एवं भूमि पर निर्मित संरचना प्रार्थीगण की निजी है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर एवं निर्मित संरचना पर कातिबज चले आ रहे है। उक्त भूमि एवं निर्मित संरचना का मुआवजा योग कर बनाया जाना आवश्यक था किन्तु सर्वे के दौरान उक्त भूमि पर निर्मित संरचना का मुआवजा एवं सर्वेक्षण में निर्मित संरचना नहीं बताई है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निर्मित संरचना के वास्तविक मालिक है तथा अवाप्तशुदा भूमि पर निर्मित संरचना का मुआवजा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। साथ ही अवाप्ति की तिथि से मुआवजा भुगतान तिथि तक प्रार्थीगण 12 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही भूमि अवाप्त किये जाने के कारण उक्त भूमि एवं निर्मित संरचना एवं आवासीय व्यवस्था के लिए होने वाली असुविधा की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण 5,00,000/-रु० निर्मित संरचना के मुआवजे के अलावा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को खसरा नंबर 2/261 वाके ग्राम मौलाई का मुआवजा भूमि के अलावा निर्मित संरचना के अनुसार प्रदान करने के आदेश फरमावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा ग्राम मौलाई स्थित संरचना संख्या 40 का अवसर्ड पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। प्रार्थीगण गलत आधारों पर मुआवजा प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।
5. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए एक्सटेंशन के 18.980 कि.मी. से 63.000 कि.मी. (दौसा - लालसोट - कौथून सैक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी लालसोट को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनित किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए एक्सटेंशन के 18.980 कि.मी. से 63.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (दौसा-लालसोट-कौथून सैक्शन) के निर्माण

जिला कलक्टर, दौसा



(चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29.07.2015 जिसका प्रकाशन राजस्थान राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति में दिनांक 05.09.2015 को एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 07.09.2015 को किया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गईं उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। यह उल्लेखनीय है कि धारा 3 ए की अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश नहीं की गई ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश प्रार्थीगण पर बाध्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए एक्सटेंशन के दौसा-लालसोट-कौथून खण्ड के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 26.05.2016 को जारी किया गया उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें कि भूमि खसरा नम्बर 2 की 0. 0756 हैक्टेयर किस्म चारागाह सरकारी वाके मौलाई तहसील रामगढ़ पंचवारा जिला- दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी 3 ए अधिसूचना में वाके ग्राम मौलाई तहसील रामगढ़ पंचवारा जिला दौसा के खसरा नम्बर 2 की 0. 0756 हैक्टेयर चारागाह सरकारी के अवाप्त रकबे बावत् अधिसूचना प्रकाशित की गई। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 3 ए की अधिसूचना के प्रकाशन में भूमि की किस्म व प्रकृति का उल्लेख किया गया गया जिसके अनुसार भूमि की किस्म चारागाह दर्ज थी। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2 की 0.0756 हैक्टेयर किस्म चारागाह के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित हितधारियों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बावत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा भूमि अर्जन बावत् अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना 26.05.2016 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलग्नमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3 डी अधिसूचना में भी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2 की 0.0756 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि का स्वामित्व चारागाह सरकारी दर्ज रिकॉर्ड होने से भूमि की किस्म अनुसार अवाई पारित किया गया। उक्त भूमि पर निर्मित संरचना एवम् निर्माण के सम्बन्ध में मौका स्थिति एवम् स्वतंत्र वैल्युअर मैसर्स जैमन एसोसियेट जयपुर द्वारा तैयार की गई वैल्युवेशन रिपोर्ट नम्बर तै - 40 में निर्मित संरचना के संबंध में है के अनुसार रामलाल पुत्र गोपाल मीना के नाम संरचना का अवाई पारित किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है। उक्त मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार रामलाल पुत्र गोपाल मीना को अवाप्तशुदा भूमि पर हुए निर्माण व संरचना की मुआवजा विधि के प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार किया गया है

जिला कलेक्टर, दौसा



वैल्यूएशन रिपोर्ट सं०	खसरा संख्या	वर्तमान हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खातेदार का नाम	अवाप्ताधीन संरचना की मूल्यांकन राशि	धारा 30 के अनुसार निर्मित संरचना पर 100 प्रतिशत तोषण राशि
आरएचएस-40	2/261	रामपाल पुत्र गोपाल मीना	राजकीय	573569	0
योग	अवाप्ताधीन वृक्षों की मूल्यांकन राशि छायादार वृक्ष	योग	धारा 30 के अनुसार पेड पौधों पर देय 100 प्रतिशत तोषण राशि	कुल देय राशि	
573569	1000	1000	1000	575569	

अप्रार्थी द्वारा उक्त मुआवजा राशि का भुगतान सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करा दिया गया है। उक्त धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय-सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख-रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी.एल.सी के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बेसिक शिड्यूल आफ रेट के आधार पर किया गया। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमान उप पंजीयक से अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 ए की दिनांक की मार्केट वैल्यू (डी. एल. सी. की वैल्यू) मंगवाई गई थी जो कि उप पंजीयक द्वारा भूमि की जो दर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सड़क एवं सड़क से दूरी के सन्दर्भ में जो भूमि की कीमत भूमि की किस्म के अनुसार दी गई थी उसे ही अवाप्तशुदा भूमि की कीमत माने जाने का निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है जो कि विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सही व उचित किया गया है। उप पंजीयक द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी उसी के अनुसार उस गांव की भूमि की दर निर्धारित की गई है। यहाँ यह लिखना भी उचित होगा कि डीएलसी की दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, उसकी भौगोलिक स्थिति बाजार भाव शहर व सड़क से दूरी इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटेन्ट /पी.डब्ल्यू.डी के इंजीनियर्स से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्यांकन कराया गया, जो कि पूर्णतः सही व उचित है। यदि किसी व्यक्ति ने अवाप्तशुदा भूमि को बिना विधिवत रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में

जिला कलेक्टर, दौसा



लिया जा रहा है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारण करने हेतु उप पंजीयक से अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 ए की दिनांक की मार्केट वैल्यू (डी. एल. सी. की वैल्यू) मंगवाई गई थी जो कि उप पंजीयक महोदय द्वारा भूमि की जो दर राष्ट्रीय राजमार्ग /स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सड़क एवं सड़क से दूरी के सन्दर्भ में जो भूमि की कीमत भूमि की किरम के अनुसार दी गई थी उसे ही अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर की दर निर्धारण करने हेतु चयनित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारित करते हुए अभिनिर्णय पारित किया गया है। तथा अधिग्रहित भूमि पर स्थित निर्माण कुआं/ट्यूबवेल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार स्वतंत्र कन्सलटेन्ट/पी.डब्ल्यू.डी के इंजीनियर्स से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्यांकन कराकर निर्धारित किया गया है। जो उचित एवं पर्याप्त है। अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 2 की 0.0756 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि का स्वामित्व चारागाह सरकारी दर्ज थी। अवाप्तशुदा भूमि पर निर्मित संरचना एवम् निर्माण के सम्बन्ध में मौका स्थिति एवम् स्वतंत्र वैल्युअर मैसर्स जैमन एसोसियेट जयपुर द्वारा तैयार की गई वैल्युवेशन रिपोर्ट नम्बर तै - 40 में निर्मित संरचना के संबंध में है के अनुसार रामपाल पुत्र गोपाल मीना के नाम संरचना का अवार्ड भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली के पॉलिसी सर्कुलर (7151) NHAI/11013/DGM/LA/543/2017-10 APRIL 2017 में जारी पॉलिसी गाईडलाईन के अनुसार बनाया गया है। उक्त गाईडलाईन के मुताबिक ही सरकारी भूमि में अवस्थित निजी संरचनाओं के मुआवजे पर तोषण देय नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। इसी प्रकरण की तरह अन्य समान प्रकरण विभिन्न अन्य न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिसमें कि सभी न्यायालयों द्वारा निर्णत पारित कर विपक्षी द्वारा तय किये गये मुआवजे तथा मुआवजे के निर्धारण जो कि उपरोक्तानुसार किया गया था को सही मानते हुए उक्त प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया तथा यह निर्णित किया कि विपक्षी द्वारा जो भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. दरों के आधार पर निर्धारित किया गया तथा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटेन्स से प्राप्त सर्वे एवं जॉच रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल आफ रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्यांकन कराया गया, जो कि पूर्णतः सही व उचित है तथा उक्त डी.एल.सी दरों के आधार पर भूमि के मुआवजा निर्धारण के आधार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सही माना गया है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई है अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है। जो विधि सम्मत एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत जारी की गई अधिसूचनायें व भूमि अवाप्ति की समस्त कार्यवाही व राजमार्ग के निर्माण की समस्त कार्यवाही पूर्णतया: विधिक व सही हैं। प्रार्थी अधिसूचना अथवा अवाप्ति की कार्यवाही को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकता है। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया था वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्च निरस्त फरमाया जावे।


6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम मौलाई तहसील रामगढ पचवारा के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक या खातेदारी में खसरा

जिला कलेक्टर, दौसा




नंबर 2/261 कहीं पर भी दर्ज रिकार्ड नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए हेतु संरचना सं0 40 को अवाप्त किया गया है जो ग्राम मौलाई के खसरा नंबर 2/123 में स्थित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2072 के अनुसार ग्राम मौलाई के खाता सं0 26 में नरेन्द्र सिंह पुत्र भूर सिंह हि.1/2, मानवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, चन्दा कंवर, इन्द्रा कंवर पुत्रियान महेन्द्र सिंह, सुशीला कंवर पत्नि स्व.महेन्द्र सिंह हि.1/2 जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है। अवाप्त संरचना सं0 40 ग्राम मौलाई का प्रार्थीगण को अण्डर प्रोटेस्ट भुगतान किया जा चुका है। उक्त संरचना हेतु जारी अवार्ड के अनुसार सरकारी भूमि में स्थित होने के कारण तोषण राशि नहीं दी गई है। प्रार्थीगण को उक्त संरचना सं0 40 का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार अवार्ड जारी होने की तिथि तक ब्याज राशि जोड़कर तैयार किया गया है। संरचना सं0 40 वाके ग्राम मौलाई का अन्य कोई अवार्ड बाकी नहीं है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण ने भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट के अवार्ड आदेश दिनांक 14.2.2019 से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट ने ग्राम मौलाई स्थित संरचना आरएचएस 40 खसरा नंबर 2/261 स्थित राजकीय भूमि में स्थित संरचना का मुआवजा राशि 5,73,569/-रु0 का अवार्ड रामपाल पुत्र गोपाल मीना के नाम पारित किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा बहस के दौरान भूमि का भी मुआवजा चाहने बाबत निवेदन किया गया किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में केवल निर्मित संरचना का मुआवजा चाहा गया है जो कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा अवार्ड पारित किया जा चुका है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। प्रार्थीगण अवाप्तशुदा भूमि का देय मुआवजे बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है जिसका नियमानुसार निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।


(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समायावधि में सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।




(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा